बीकानेर नगर निगम

विज्ञापन उपविधियॉं–2010

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (जे) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित उपविधियॉं बनाती है नामतः–

1- 'kh"kd] lhek ,oa çHkkoh&

i- ये उपविधियॉं बीकानेर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियॉं 2010 कहलाऐंगी।
ii- ये उपविधियॉं बीकानेर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।
iii- ये उपविधियॉं तत्काल प्रभावशील होगीं।

2- 'kkfCnd ifjHkk"kk,a&

i. अध्यक्ष से अभिप्रेत है महापौर।
ii. मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त से है।
iii. ''अनुज्ञा पत्र'' (लाइसेंस) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत प्रदान किय जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञा पत्र से है।
iv. ''अनुज्ञापत्रधारी'' (लाइसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, तथा इसमें इसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है।
v. ''नगर निगम सुचनापट्ट'' से अभिप्रेत निगम द्वारा निर्धारित पट्ट से है जो किस भी प्रकार के सूचना पत्र, विज्ञापन, वात विपत्र (र्होडिंग्स) आदि लगाने वाले अथवा चिपकाने के लिये निगम द्वारा निश्चित किया गया हो।
vi. निगम से अभिप्रेत बीकानेर नगर निगम से है।
vii. ''विज्ञापन'' से अभिप्रेत ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पट्ट, विद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, वाल पेटिंग्स, प्रतीक चिन्ह(ऐम्बलम), चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी भवन, भूमि दीवार या आकाश , चल –अचल वाहन/वस्तुओं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।
viii. 'परिष्कृत क्षेत्र' (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐस क्षेत्र से है जो लाइसैन्सिग ऑथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।

ix. ''विज्ञापन समिति'' से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन निर्वाचित निगम द्वारा किया जावेगा एवं जिसे एतदर्थ इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ शंक्तियों का प्रत्योजन होगां

x. ''खतरनाक विज्ञापन प्रदर्श'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन केवल दृश्य मात्र होने से खतरनाक माना जावे या खतरनाक नहीं माना जावे इस बारे में विज्ञापन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

xi. ''लघु विज्ञापन पट्ट'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 12 फीट x 8 फीट से छोटे हों।

xii. ''विज्ञापन समीक्षा समिति'' से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उपनियमों में अंकित की गई है।

xiii. ''निर्दिष्ट स्थान'' से तात्पर्य वह स्थान होगा जो कि निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृति किया जायेगा।

xiv. जो शब्द यहॉ परिभाषित नही किये गये है उनके संबंध में नगरपालिका अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाएँ लागु होगी।

3- fu"k/k&

(1) निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन, किसी भवन, पुल, आकाश, मार्गमय फुटपाथ पेड़, नगर प्राचीर, नगरद्वार बिजली या टेलिफोन के खम्भों, चल, अचल वाहनो/वस्तुओ पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापन के नही लगायेगा और ना ही चिपकवायेगा/चिन्हित/प्रदर्शित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञा पत्र के किसी भी भवन, पुल, मार्ग, नगर, प्राचीर या नगर द्वार, बिजली व टेलिफोन खम्बे चल वाहन, डेयरी बुथो, कियोस्क एवं सुलभ शौचालय, बस स्टैण्ड रोड डिवाइडर पर नही लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा ना ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नहीं इनका निर्णय विज्ञापन समिति द्वारा किया जावेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते है अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा और नही चिपकाने की अनुमति प्रदान करेगा। न ही लिखेगा और न ही लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और नही चित्रित करने की स्वीकृति देगा। किन्तु नगर निगम की सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर ऑयल कम्पनी के द्वारा उपलब्ध जनसुविधाओं की जानकारी के लिए जो बफर स्ट्रीट में एम्बलम लगये जा सकते है । उसके पाँच वर्ष के शुल्क के रूप में 25,000/- रू. एक साथ वसूल किये जायेगें । यदि कोई कम्पनी पाँच वर्ष की अवधि तक वार्षिक रूप से शुल्क देना चाहती है तो 25/- रू. प्रति वर्गफुट के हिसाब से जमा करा सकती है ।

4- vuKki= çkfIr dh ç.kkyh&

(1) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर आइरन ऐंगिल का स्ट्रेक्चर लगाकर निगम द्वारा उपबन्धित रीति से विज्ञापन लाइसैन्सी द्वारा किया जा सकता है, जिसका लाइसैन्स खुली नीलामी के आधार पर निर्णित किया जायेंगें। किन्तु विज्ञापन समिति उचित समझे तो मौजूदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण किया जा सकता है । यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढाई जाकर दिया जायेगा । परन्तु नवीनीकरण दो बार ही किया जा सकता है । उसके पश्चात् निलामी करना अनिवार्य है ।

(2) वृक्ष कवच (ट्री गाडर्स), रोड डिवाइडर्स, बस सैल्टरों, सुलभ शौचालयों , डेयरी बुथों, फिल्म पोस्टरों बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट (होर्डिग्सं) आदि विज्ञापन प्रदर्श लाइसैंस खुली नीलामी/वीओटी आधार पर किया जा सकेगा। जिनकी शर्तो का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा। ट्री गाडर्स एवं रोड डिवाइडर्स की रेलिगं पर केवल छोटे वृत्ताकार अथवा आयताकार विज्ञापन की ही अनुमति दी जायेगी।

(3) विद्युत चलित/ इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन प्रदर्श निर्धारित स्थानों पर खुली निलामी के द्वारा दिये जाऐगें।

(4) यदि आवेदन पत्र नगर निगम सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो, आवेदक उतनी ही प्रतियाँ विज्ञापनों के साथ प्रस्तुत करेगा, जितनी ही वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र में उन सब नगर निगम सूचना पट्टो का विवरण देगा जिस पर चिपकाने का वह इच्छुक है लेकिन ऐसी सूचनायें अथवा विज्ञापन पत्र 60 x 80 सेण्टीमीटर से अधिक बड़े नही होगें । ऐसे विज्ञापन पत्र की शुल्क फीस प्रतिदिन 20 रूपये 60 x 80 सेण्टीमीटर के हिसाब से होगी। विज्ञापन प्रदर्श अवधि 15 दिवस से अधिक नही होगी।

(5) (क) इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अनुज्ञापत्रधारी (लाइसेंन्सिग ऑथोरिटी) होगें।

(ख) विज्ञापन समीक्षा समिति के अध्यक्ष महापौर होगें एवं निम्नांकित सदस्य होगें, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगीः–

1. विज्ञापन समिति के अध्यक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बीकानेर नगर निगम जो सदस्य सचिव होगें।
2. अधिशाषी अभियंन्ता, नगर निगम बीकानेर।
3. अन्य दो व्यक्ति जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम द्वारा मनोनित किये जावें, जो समय–समय पर नगर निगम द्वारा परिवर्तित किये जा सकेगें।

5- bu mifof/k;ksa dh mifof/k 4 ds vUrxZr çkIr vkonu i= eq[; uxj ikfydkvf/kdkjh }kjk vLohdkj fd;k tk ldsxk ;fn&

(1) आवेदन पत्र में उपविधियों के क्लाज संख्या 4 शर्तो की पूर्ति नही की गई हैं।

(2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक अथवा अशिष्ट या अश्लील है या महिला विरूपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये क्लेशकर है अथवा प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी

अन्य प्रकार से अवाछंनिय है या जिनमें अश्लील अथवा नग्न या नशें के चित्र, संकेत या लिखित रूप से प्रदर्शित किये गये है।

(3) विज्ञापन से जन शांति भंग होने का अंदेशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन कल्याण में बाधक हो।

(4) विज्ञापन इन उपविधियों में र्निदिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सुचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित या चित्रित हो या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हों जिनमें शांति भंग होने का अंदेशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या कल्याण में बाधक हो या उपविधि 5 के अंतर्गत अस्वीकार किये गये या बिना स्वीकृत लगाये गये हो तो उसे हटा सकेगें। यदि पट्ट निजी है और गंदी व भद्दी हालत में रखा जाता है तो उसे भी हटा सकेगें अथवा स्वच्छ करा सकेगें। लाइसेंसिग ऑथोरिटी द्वार हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजे का खर्चा भी वह निश्चित करेगें, उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा जिसने वह विज्ञापन प्रदर्शित किया है।

7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिसका कि उस पर नाम अंकित है, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा विपरित प्रमाणित न हो जावे।

8. इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र अहस्तांतरणीय होगें। विज्ञापन प्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। एडवरटाइजिंग एजेन्सीज/संस्थाएँ भी अनुज्ञापत्र इन उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेगें।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनॉए आदि हटाई या पोतकर साफ की जावेगी उनके लिए नगर निगम किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नही होगी और न ही वह शुल्क की राशि लौटाई जावेगी, जो स्वीकृति के लिये जमा की गई है एवं विज्ञापन के गिरने, हटने व प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आम जन/धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापन कर्त्ता की मानी जावेगी इसके लिये नगर निगम उत्तरदायी नही होगा।

10. नगर निगम द्वार र्निदेशित स्थान अथवा किसी भी निजी भूमि एवं भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेगें बशर्ते कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश पर कुप्रभाव न पड़े एवं ऐसे निजी भवन पर नगर निगम सूचना पट्ट का निर्माण करना चाहता हो तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित मात्रा में नगर निगम द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी, विज्ञापनकर्ता को दिया जा सकेगा। विज्ञापन प्रदर्श हेतु भवन की उपयुक्तता के संबंध में विज्ञापन कर्त्ता को (भार वहन करने की क्षमता) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन पट्टो का साईज लाईसेन्स ऑथोरिटी निश्चित करेगें।

11. नगर निगम सूचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कर्तव्य होगा किः—

(1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है, तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा इसके लिये अनुमति जारी करेगा।

(2) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियॉं वापस आवेदक को लौटा देगा।

(3) यदि लौटाई जाने वाली सूचनॉओ की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है, तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी।

12.(1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति/ एडवरटाइजिगं कम्पनी द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ स्थान का रेखाचित्र जो किसी ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया हो/ दिशा एक विशिष्ट स्थान से सही दूरी आदि की विस्तृत जानकारी हो, विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी लाइसेंसिग अथोरिटी द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार बताई गई है, सलंग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो अथवा किसी प्रकार का ग्लोसाइन/विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने, लिखवाने अथवा चित्रित करेगा या चित्रित करवाने के लिए आवेदन पत्र देगा उसे भी निम्न लिखित शर्तो पर अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगाः

i. निजी भूमि/भवनों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 50/रू प्रति वर्ग फुट ओवदन के साथ पुरे वर्ष का जमा करवायेगा।

ii. यदि आवेदक स्वयं भूमि/भवन का मालिक नही है तो उसे भूमि /भवन के मालिका का ऐसे विज्ञापन लगााने का लिखित स्वीकृति पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

iii. लाइसेंस की अधिकतम अवधि एक वर्ष रहेगी जो कि वित्तिय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी।

iv. विज्ञापन दीवार पर ही लिखा या चित्रित किया जावेगा तो लाल, बेगंनी रंग से पेण्ट किया हुआ होने की सूरत में सफेद अक्षरों से और सफेद पेण्ट किया हुआ होने की सूरत में लाल रंग के अक्षरों से लिखना होगा अथवा निगम द्वारा र्निदिष्ट रंग व नाप का होगा।

v. ऐसे विज्ञापन की दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा।

vi. चल वाहनों पर विज्ञापन का शुल्क देकर विज्ञापन की स्वीकृति लाइसेंसिग ऑथोरिटी से प्राप्त करनी होगी।

vii. निजी संपत्तियों पर अनुमत विज्ञापन की साइज लम्बाई 20 फिट x 20 फिट से अधिक नही होगी । विज्ञापनों के मध्य न्यूनतम 1 फीट की दूरी रखनी होगी।

viii. निजी सम्पत्तियों पर किया गया विज्ञापन किसी भी सूरत में सड़क की सतह से 18 मीटर से अधिक ऊचॉ नही होगा।

ix. शहर की सौन्दर्यता का बनाये रखने के लिये निगम की शर्तो का पालन करने पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन करने हेतु दरें अन्य विज्ञापन दरों से भिन्न होगी जो नगर निगम द्वारा निश्चित की जावेगी एवं शर्तें विज्ञापन समिति निर्धारित करेगी।

x. उपविधि के प्रावधानों के अनुसार फीस व शुल्क की वसूली नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा या किसी अधिकृत रजिस्टर्ड संस्था द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा अथवा किसी रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्था (एन. जी. ओ.) के माध्यम से वसूली की जा सकती है। किसी संस्था या संगठन द्वारा फीस व शुल्क वसूली किये जाने पर नगर निगम एवं संस्था के बीच करार के द्वारा शर्तो का निर्धारण होगा।

13- çfrcfU/kr%&

i. कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नही किया जावेगा जिससे वाणिज्यिक संस्थान के ऊपर कंगुरो में कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जावें।

ii. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुडेंर पर अनुमत नही किया जावेगा। वाणिज्यिक संस्थान अपना नाम पट्ट साईज 7′ x 1′ निःशुल्क लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्श नही किया जावेगा।

iii. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नही किया जावेगा।

iv. कोई भी विद्युत चालित विज्ञापन मुख्य सड़क के चौराहों के केन्द्र से किसी ऊॅचे भवन के सिर पर 40 फीट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा।

v. 1) विज्ञापन होर्डिग्सं किसी दोराहे, तिराहे या चौराहे में रूकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा लेकिन अनुज्ञापित हो र्डिग्स थी । सड़क सेण्टर से दूरी हर हालत में 30 फीट से कम नही होगी।

2) विज्ञापन होर्डिग्सं का साइज कम से कम 12 फीट x 8 फीट का होगा व अधिकतम 20 फिट x 20 फीट का होगा इसका निचला भाग जमीन की सतह से 7 फीट की ऊचॉई पर रहेगा तथा जमीन से 7 फीट की अधिक ऊचॉई नही ली जावेगी और जमीन से ऊचॉई 27 फीट लंबाई 20 फीट से अधिक नही होगी।

vi. कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पट्ट में अंकित चिन्हो के रंग या नाम से पृथक होगा। ऐसे विज्ञापन द्वारा रूकावट नही डाली जावेगी।

vii. कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन में बाधक अथवा खतरनाक हो अनुमत नही किया जावेगा लेकिन विज्ञापन प्रदर्श केवल दृश्य मात्र से यातायात में बाधक/खतरनाक नहीं माना जावेगा।

viii. कोई भी विज्ञापन नेशनल हाईवे अधिनियम एवं यथा संशोधित के तहत प्राधिकृत ऑथोरिटी के द्वारा बनाये गये नियमों, निबंधनों के विरूद्ध नही होगें।

ix. किसी भी सड़क के आर–पार किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लटकाया जायेगा और न प्रदर्शित किया जावेगा जिससे कि सामान्यतः वाहन चालकों की दृष्टि उन पर न पड़े।

x. नगर प्राचीर, दीवार, सार्वजनिक भवनों, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएँ अस्पताल राष्ट्रीय स्मारक, पुलों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जावेगा।

14- efDr ;k& जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने का कोई प्रतिबंध नही होगाः–

(1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात र्निदेश , मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन के कोई विज्ञापन पत्र , सुचना पत्र, अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का र्निदेश करें। उदाहरणार्थ सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धित विज्ञापन व पैट्रोल स्टेशनों पर पैट्रोल पम्प संबंधी चिन्ह वृत्ताकार में 2½ x 2½ फीट लगा सकेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन प्रदर्श में छूट प्रदान की जा सकेगी।

15. कोई भी व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/शटर पर अपना नाम/ व्यवसाय का नाम प्रदर्श, अंकित करता है, चित्रित करता है तो उसे सफेद/काला/लाल रंग से चित्रित/ अंकित किया जावेगा, किन्तु निर्धारित साइज 7′ x 1′ बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

16. निम्नांकित हस्तपत्रित अथवा सूचनॉए निर्धारित स्थलों पर निःशुल्क चिपकाई जायेगीः–

(1) वे समस्त सूचनाएँ जो नगर निगम से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी।

(2) वे समस्त सूचनॉए जो विशुद्ध धार्मिक हों अथवा जनहित मे उचित प्रतीत होती हो तो अथवा उपविधि 15 में अंकित है।

17. कोई भी व्यक्ति नगर निगम के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखें या चित्रित किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेंगा।

18. नगर निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन पाये जाने पर अनुज्ञा–पत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

19. यदि कोई व्यक्ति/संस्था/फर्म आदि उपविधि की शर्तो का उल्लघंन करता है तो वह दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने को दण्डनीय होगा, जो दो हजार रूपये से कम नही होगा, किन्तु जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा।

20. निगम के किसी ओदश से व्यथित व्यक्ति/संस्था/फर्म आदि ऐसे ओदश की तारीख से उसकी प्रति प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय को छोड़कर तीस दिवस के भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा।

21. नगर निगम उसके द्वारा व्यथित किसी वाद के सम्बंध में नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति को समझौता करने का अधिकार होगा